न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2021

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
सेन्ट ऐंन्सलम स्कूल सांतपुर, आबूरोड जरिए प्रधानाचार्य जोशफ के.जे. पुत्र श्री सी.के.जोशफ, सेन्ट ऐंन्सलम स्कूल आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री कलीम अव्वल अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 22.08.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 09/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा ग्राम सांतपुर पटवार हल्का सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 976 रकबा 1591 वर्गफीट किस्म गै.मु.नाला पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को उपस्थित बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 17/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि अपीलांट विद्यालय सेंट ऐंसलम स्कूल [illegible] नाम [illegible] रिको औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड में संचालित किया जा रहा है, जिसको दिनांक [illegible] 1989 को रिको आबूरोड द्वारा जरिए पंजीकृत लीज एग्रीमेन्ट सं. 389 के अपीलांट शिक्षण संस्थान [illegible] सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 971, 973 व 974 में से 11000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन अपीलांट संस्थान के पक्ष में किया गया था एवं रिको आबूरोड द्वारा उक्त आराजी को अपीलांट संस्था को आंवटित की गई और

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:59 IST
Reason: SelfAttested

Bhlr
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आंवटन के पश्चात रिको द्वारा अपीलांट संस्था को 11000 वर्गमीटर भूमि पर जिस स्थान पर कब्जा करवाया गया था उस पर ही अपीलांट संस्था द्वारा आवंटनशुदा भूमि पर चार दीवारी का आज से 26 वर्ष पूर्व निर्माण किया हुआ है एवं उसी भूमि में बने हुए भवनों में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। यह है कि नगर सुधार न्यास आबूरोड द्वारा पटवारी हल्का सांतपुर की गलत तरीके से बनाई गई मौका फर्द पर विश्वास करते हुए अपीलांट द्वारा संचालित विद्यालय को अतिक्रमण बताकर दिनांक 20.09.2016 को अपीलांट को नोटिस प्रेषित कर अपीलांट द्वारा पूर्व में निर्मित विद्यालय भवन को खसरा नम्बर 976 का हिस्सा मानते हुए 37×43.4 वर्गफीट भूमि पर अवैध रूप से चार मंजिला भवन निर्माण करना बताते हुए जवाब मांगा, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 04.10.2016 को दस्तावेजी सबूत के साथ नगर सुधार न्यास को जवाब प्रेषित कर दिए जाने के बावजूद अपीलांट संस्था के भवन को दिनांक 31.03.2017 को सीलिंग की कार्यवाही कर सीज कर दिया गया। यह है कि नगर सुधार न्यास आबूरोड द्वारा खसरा नम्बर 976 पर अतिक्रमण बताया है जबकि श्रीमान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आबूरोड के आदेशानुसार नायब तहसीलदार आबूरोड द्वारा दिनांक 23.03.2013 को खसरा संख्या 976 व 976/1 का मौका निरीक्षण किया गया, जिस पर खसरा संख्या 976 पर अपीलांट संस्था का कोई अतिक्रमण नहीं बताया गया, बल्कि अपीलांट संस्था को अपनी आंवटनशुदा भूमि पर ही काबिज होना बताया है। उक्त मौका फर्द को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि इस संबंध में अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है एवं उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट नम्बर 4590/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 के द्वारा उक्त भवन को सीज ही रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त भवन पूर्व से ही सीज होने से तथा अतिक्रमण है अथवा नहीं, यह तथ्य न्यायालय में विचाराधीन होने के उपरान्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के साक्ष्य लिए बगैर एवं पटवारी हल्का से अपीलांट की जिरह करने का अवसर दिए बगैर केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर पांच मंजिलनुमा बिल्डिंग निर्माण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाला है, जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2075 मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिस पर विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट को उपस्थित बताया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दर्ज की गई है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का सांतपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा सांतपुर पटवार हल्का सांतपुर के खसरा संख्या 976 रकबा 1591 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन नाला पर अपीलांट ने अवैध कब्जा कर पांच मंजिलनुमा बिल्डिंग निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलांट विद्यालय सेंट ऐंसलम स्कूल [illegible] रिको औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड में संचालित किया जा रहा [illegible] लीज एग्रीमेन्ट किया गया है। यह है कि रिको आबूरोड द्वारा किए [illegible] लीज एग्रीमेन्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि अपीलांट संस्था को खसरा संख्या 971, 973 एवं 974 की कुल भूमि 11000 वर्गमीटर भूमि आंवटित की गई थी एवं यह अपीलांट संस्था ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया है कि रिको आबूरोड द्वारा उसे खसरा संख्या 971, 973 एवं 974 की कुल भूमि 11000 वर्गमीटर आवंटित हुई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करते हुए अपीलांट संस्था का खसरा संख्या 976 रकबा 1591 वर्गफीट पर अतिक्रमण बताया है एवं उक्त विवादित खसरा संख्या 976 रकबा 1591 वर्गफीट पर अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में अपीलांट संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह है कि खसरा संख्या 976 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा भूमि की किस्म नदी, नाले, तालाब आदि को प्रतिबन्धित किया हुआ है, जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 976 रकबा 1591 वर्गफीट की भूमि अपीलांट संस्था को आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही अपीलांट संस्था के अधिवक्ता इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट संस्था के अधिवक्ता खसरा संख्या 976 रकबा 1591 वगफीट पर अपीलांट संस्था का अतिक्रमण नहीं होना साबित करने में असफल रहे है। यह है कि उक्त खसरा संख्या 976 किस्म गैर मुमकिन नाला राजस्व रेकर्ड अनुसार नगर सुधार न्यास आबू के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलांट संस्था द्वारा प्रतिबंधित क्षेणी में अवैध अतिक्रमण करने से नगर सुधार न्यास आबू द्वारा दिनांक 31.03.2017 को उक्त चार मंजिला पक्का निर्माण को सील किया गया है। यह है कि उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 1223/2018 अनवान कांतिलाल उपाध्याय बनाम राज. सरकार व अन्य में भी उक्त चार मंजिला भवन को हटाने के आदेश पारित किए गए है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner